

बिहार सरकार
कृषि विभाग।

का0आ0सं0-पी0पी0एम0-48 / 2014(खण्ड)-3648 / कृ0, पटना, दिनांक 9/10/ 2018

कार्यालय आदेश

केन्द्र प्रायोजित योजना में भारत सरकार से विमुक्त होने वाली राशि से संबंधित औपचारिकतायें पूरी करने के लिए निदेशक, कृषि एवं संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी को प्राधिकृत किया जाता है।

निदेशक, कृषि के साथ संबंधित योजना के नोडल पदाधिकारी समय-समय पर दिल्ली जाकर इन योजनाओं से संबंधित राशि के विमुक्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई करेंगे ताकि निर्धारित उद्व्यय के आलोक में वांछित राशि भारत सरकार से विमुक्त हो सके।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
3. प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

Howr 20/
8.10.2018
(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 3648 / कृ0, पटना, दिनांक 9/10/ 2018

प्रतिलिपि:- माननीय कृषि मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, पटना/केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के सभी नोडल पदाधिकारी, कृषि विभाग/प्रभारी बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक (शष्य) सूचना, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड करने एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

Howr 20/
8.10.2018
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।